(भारत के राजपत्र,असाधारण,भाग-।।,खण्ड 3, उप खण्ड(i) में प्रकाशनार्थ)

भारत सरकार

वित्त मंत्रालय

राजस्व विभाग

(केन्द्रीय उत्पाद शुल्क एवं सीमाशुल्क बोर्ड)

अधिसूचना सं0 61/2017-सी.शु.(एनटी)

नई दिल्ली , 29 जून,2017

जी.एस.आर. (ई).- सीमाशुल्क अधिनियम,1962 (1962 का 52) की धारा 50 के साथ पठित धारा 157 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए , बोर्ड एतदद्वारा शिपिंग बिल (इलैक्ट्रोनिक घोषणा) विनियम,2011 में संशोधन करने के लिए निम्नलिखित विनियम बनाता है, नामत: :-

1.(1) इन विनियमों को शिपिंग बिल (इलैक्ट्रोनिक घोषणा)(संशोधन)विनियम,2017 कहा जायेगा।

(2) ये सरकारी राजपत्र में इनके प्रकाशन की तिथि से प्रवृत्त होंगे।

2. शिपिंग बिल (इलैक्ट्रोनिक घोषणा) विनियम,2011 में,(इसमें बाद में उक्त विनियमों के रूप में संदर्भित), विनियम 1 में,उप विनियम(1) में, ″इलैक्ट्रोनिक घोषणा″ शब्दों के लिए ″इलैक्ट्रोनिक एकीकृत घोषणा″ शब्द प्रतिस्थापित किए जायेंगे।

3. उक्त विनियमों में, जहॉ भी ″इलैक्ट्रोनिक घोषणा″ शब्द आते हैं,उनके लिए ″इलैक्ट्रोनिक एकीकृत घोषणा″ शब्दों को प्रतिस्थापित किया जायेगा।

4. उक्त विनियमों में,विनियम 2 में,-

(i) खण्ड (क)में, ″कस्टम्स हाउस एजेन्ट्स लायसैंसिंग विनियम,2004″ शब्दों के लिए, ″कस्टम्स ब्रोकर्स लायसैंसिंग विनियम,2013″ शब्द प्रतिस्थापित किए जायेंगे;

(ii) खण्ड (ख) का लोप किया जायेगा।

(iii) खण्ड(च) में ″इसके प्रिन्ट आउट शामिल हैं ″ शब्दों के लिए ″इसमें इलैक्ट्रानिकरिकॉर्ड अथवा प्रिन्ट आउट शामिल हैं″ शब्द प्रतिस्थापित किए जायेंगे।

स्पष्टीकरण - इस खण्ड के उद्देश्य के लिए, “इलैक्ट्रोनिक रिकार्ड” का अर्थ वही होगा जो इसके लिए सूचना तकनीकी अधिनियम,2000(2000 का 21) में दिया गया है।

5. उक्त विनियम में,विनियम 3 में , ″संलग्नक में लगे हुए प्रारूप में ″ शब्दों के लिए ″वेबसाइट https://www.icegate.gov.in में दिए गए इलैक्ट्रानिक फार्म में ″ शब्द प्रतिस्थापित किए जायेंगे।

6. उक्त विनयम के संलग्नक का लोप किया जायेगा।

[फा0सं0 450/108/2017-सी.शु;IV]

(जुबैर रियाज)

निदेशक(सीमाशुल्क)

नोट- प्रमुख विनियमों को अधिसूचना सं0 जी.एस.आर. 839(ई) द्वारा भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं0 80/2011 दिनांक ,25.11.2011 द्वारा प्रकाशित किया गया और अधिसूचना सं0 जी.एस.आर.391(ई) दिनांक 18.05.2015 द्वारा भारत के राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना सं0 46/2015-सी.शु.(एनटी)दिनांक 18.05.2015 द्वारा अंतिम बार संशोधित किया गया।